APP | APO
RAJASTHAN
Tansukh Paliwal (Linking Sir)
Previous
Paper
SOLUTION

APP EXAM- 2011

APP 2011 Analysis

S.No.	Subject	No. of Question Asked
1.	INDIAN PENAL CODE, 1872	23
2.	CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1963	23
3.	INDIAN EVIDENCE ACT, 1872	20
4.	MOTOR VEHICLES ACT, 1988	6
5.	THE PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT, 1954	1
6.	NARCOTICS DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985	6
7.	THE ARMS ACT, 1959	7
8.	THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950	5
9.	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989	5
10.	FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006 - FSSAI	4

APP EXAM- 2011

1. Who among of the following is not a "public servant" according to section 21 of the Indian Penal Code 1860?

(1) Chief Minister and Prime Minister
(2) Judge and Magistrate
(3) Government servant appointed on deputation
(4) Principal of Government college

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है ?

(1) मुख्य मंत्री व प्रधान मंत्री
(2) न्यायाधीश व मैजिस्ट्रेट
(3) पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी
(4) राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य

IPC 1860

PC Act 1988

APP EXAM- 2011

3. Which of the following sections is not the section of Joint and constructive liability under Indian Penal Code 1860?

(1) Section 34, 35 and 37

(2) Section 36

(3) Section 141, 149, 396, 460

(4) Section 111, 117, 120B

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की निम्न में से कौन-सी धारा संयुक्त व आन्वयिक दायित्व से सम्बन्धित नहीं है?

(1) धारा 34, 35 व 37

(2) धारा 36

(3) धारा 141, 149, 396, 460

(4) धारा 111, 117, 120ख

APP EXAM- 2011

5. In which of the following offences the benefit of section 85 of the Indian Penal Code 1860 will not be given to the accused person, namely offences under ?

(1) Section 323, 325, 340 and 355

(2) Section 272, 279, 292 and 294

(3) Section 312, 300, 376, 497, 498 and 361

(4) Section 295, 296, 297 and 298

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के निम्न में से कौन से अपराधों के लिए अभियुक्त को धारा 85 का लाभ नहीं दिया जायेगा?

(1) धारा 323, 325, 340 व 355

(2) धारा 272, 279, 292 व 294

(3) धारा 312. 300. 376, 497.498 व 361

(4) धारा 295, 296, 297 व 298 .

APP EXAM- 2011

7. "A" young girl dies due to accident and her dead body was lying on the road side. "B" committes sexual intercourse with the body of "A". "B" in this case will –

(1) Not be liable for any offences under Indian Penal Code 1860

(2) Will be liable for the offence of rape under Indian Penal Code 1860

(3) Will be liable for rape as well as under section 297 of the Indian Penal Code 1860

(4) Will be liable under section 297 of the Indian Penal Code , 1860

295- 296

APP EXAM- 2011

"अ" एक जवान लड़की की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तथा उसका शव सड़क के किनारे एक कोने में पड़ा है । भावावेश में आकर "ब" उसके साथ शारीरिक सम्पर्क करता है। यहाँ "ब" –

(1) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है

(2) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन बलात्संग अपराध के लिए उत्तरदायी होगा

(3) भारतीय दण्ड संहिता के अधीन बलात्संग तथा धारा 297 के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा

(4) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 297 के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा

APP EXAM- 2011

8. "Culpable homicide" amounts to murder under section 300 of the Indian Penal Code, 1860 when ?

(1) An act is done with intention to cause death

(2) The act is done with intention to cause death

(3) Act is done with the knowledge to cause death

(4) Any act is done with intention to cause death

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 300 के अन्तर्गत "अपराधिक मानववध" का अपराध "हत्या' के अपराध में परिवर्तित हो जाता है

(1) जब मृत्यु करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है

(2) जब मृत्यु करने के आशय से वह कार्य किया जाता है

(3) जब मृत्यु करने के आशय से, इस ज्ञान से कि मृत्यु हो जायेगी, कार्य किया जाता है

(4) जब मृत्यु करने के आशय से कोई ऐसी बात करके, कोई कार्य किया जाता है

APP EXAM- 2011

9. A and B both were travelling on an aeroplane. When the aeroplane was flying at the height of 30,000 feets, A, forcibly throws B outside the aeroplane. Consequently "B" dies falling on the tree. Here "A" will be liable under which section of the Indian Penal Code, 1860?

"अ" तथा "ब" एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। जब हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ रहा था तब "अ' ने "ब" को हवाई जहाज से बाहर धक्का दे दिया। इसके फलस्वरूप "ब" एक पेड़ पर गिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गयी । "अ" यहाँ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की किस धारा के अन्तर्गत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा?

(1) Section 302/ धारा 302 में
(2) Section 301/ धारा 301 में
(3) Section 299 / धारा 299 में .
(4) Section 304(A)/ धारा 304(A) में

APP EXAM- 2011

10. A person may be responsible for the theft of his own property under section 379 of the Indian Penal Code 1860, when he has given his property to other as a' –

(1) Bailment and use
(2) Gift and trust
(3) Security
(4) Bailment, gift, repair and use

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 379 में कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की चोरी के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है जब उसने वह सम्पत्ति अन्य को दी हो :

(1) निक्षेप व प्रयोग हेतु
(2) दान एवं न्यास के रूप में
(3) प्रतिभूति हेतु
(4) निक्षेप, दान, मरम्मत अवं प्रयोग हेतु

APP EXAM- 2011

11. Under Indian Penal Code 1860, an attempt to commit offences is sometimes punishable with the same punishment which has been prescribed for committing the main offences. Under which sections it has been provided ?

भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अपराध करने का प्रयत्न भी कहीं कहीं मुख्य अपराध करने हेतु विहित दण्ड के बराबर ही दण्ड से दण्डित किया जाता है । ऐसा निम्न में से किस धारा में है ?

(1) Section 388 and 389/ धारा 388 व 389 में

(2) Section 388, 389, 397 and 398 / धारा 388, 389, 397 व 398 में

(3) Section 397 and 398 / धारा 397 व 398 में

(4) Section 511 / धारा 511 में

APP EXAM- 2011

12. **Which of the following offences under Indian Penal Code 1860 relates with the mind, reputation, body and property ?**

(1) Cheating
(2) Tresspass
(3) Mischief
(4) Defamation

415-420
C.17

Sec. 44

भारतीय दण्ड संहिता 1860 में निम्न में से कौन-सा ऐसा अपराध हैं जो शरीर, मन, ख्याति तथा सम्पत्ति से भी सम्बन्धित है ?

(1) छल का अपराध
(2) अतिचार का अपराध
(3) रिष्टि का अपराध ....
(4) मानहानि का अपराध

B
M
R
P

APP EXAM- 2011

13. **'A' cut down tree on B's land with intention to take away that tree without B's consent. A has committed the offence of**

(1) Criminal misappropriation of property

(2) Theft as soon as tree was cut down and severed from ground

(3) No offence until the tree is taken away

(4) Criminal breach of trust.

'अ' 'ब' की जमीन पर बिना 'ब' की सहमति के इस नियत से पेड़ काटता है कि वह उसे दूर ले जाये। 'अ' ने अपराध किया है –

(1) सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग

(2) चोरी, ज्यों ही उसने पेड़ को काट दिया और जमीन से अलग कर दिया

(3) कोई अपराध नहीं किया जब तक वह पेड़ को उठाकर ले नहीं जाता

(4) आपराधिक न्यास भंग

APP EXAM- 2011

14. 'A' and 'B'. agreed to commit theft in C's house but no theft was actually committed. They have committed the offence of –

(1) Criminal conspiracy
(2) Abetment by conspiracy
(3) Abetment by instigation
(4) No offence

'अ' और 'ब' 'स' के मकान में चोरी करने के लिये सहमत हो जाते है लेकिन वास्तव में चोरी करते नहीं है । उन्होंने अपराध किया है

(1) आपराधिक दुस्संधी
(2) दुस्संधी द्वारा उत्प्रेरण
(3) उकसावे द्वारा उत्प्रेरण
(4) कोई अपराध नहीं

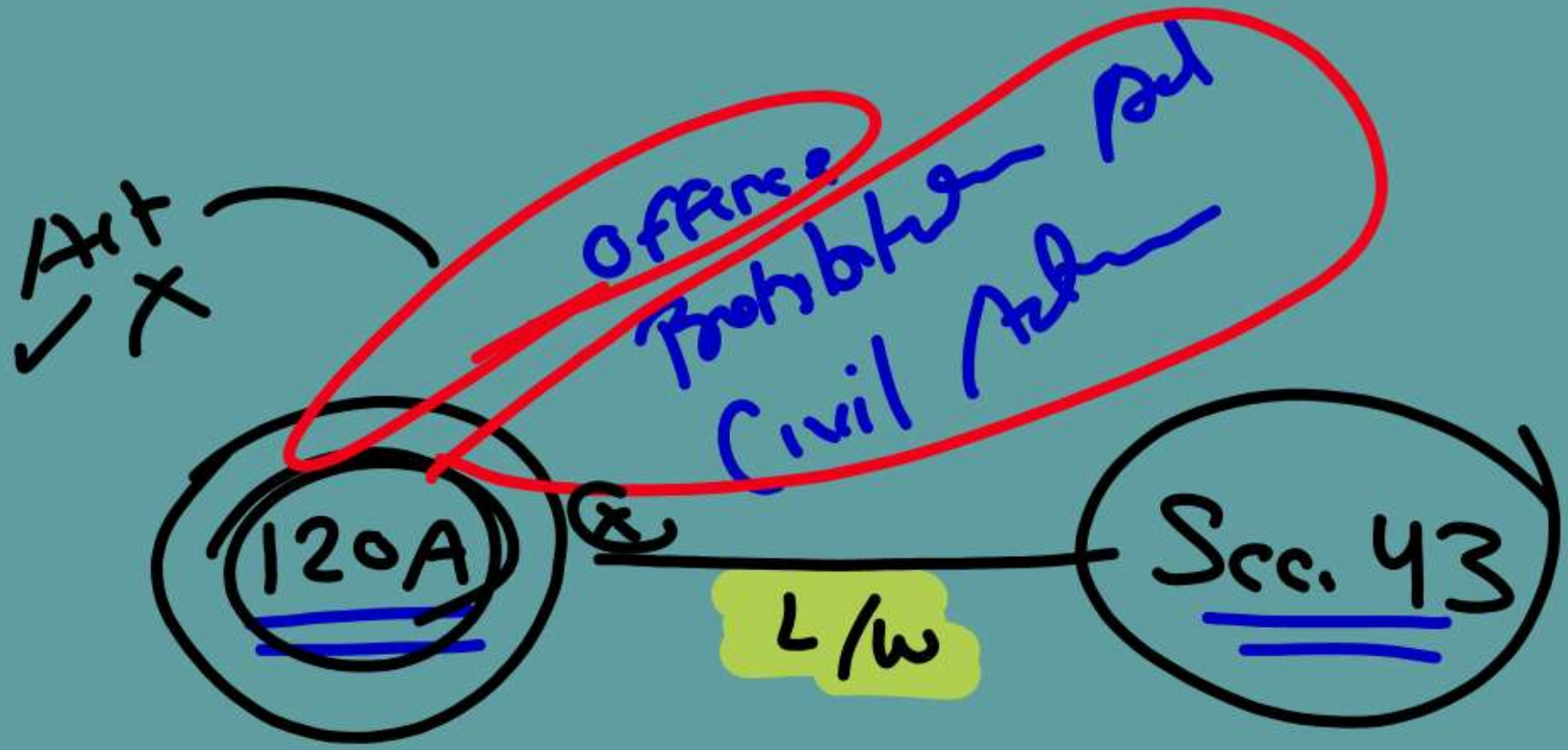

Art
✓ X
Offence
Prohibition and
Civil Action
120A
L/W
Sec. 43

APP EXAM- 2011

15. **Which one of the following statements correctly defines the offence of 'criminal breach of trust'?**

निम्न में से कौन सा कथन आपराधिक न्यास, भंग के अपराध को सही तरीके से परिभाषित करता है

(1) Whoever dishonestly misappropriates any property for his own use, is guilty of criminal breach of trust.

कोई भी व्यक्ति जो स्वयं के उपयोग के लिए सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी है ।

(2) Whoever uses any movable property in violation of law or legal contract commits criminal breach of trust.

कोई भी व्यक्ति जो चल सम्पत्ति का उपयोग विधि के अतिक्रमण अथवा वैधिक संविदा के अतिक्रमण में करता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी है

(3) Whoever is entrusted with the dominion of property dishonestly converts it as his property is guilty of criminal breach of trust.

कोई भी व्यक्ति जिसे किसी सम्पत्ति को सौंपा गया है वह बेईमानी से उसे अपनी सम्पत्ति में बदल लेता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी है

(4) Whoever willfully refuses to return property to the owner is guilty of criminal breach of trust.

कोई भी व्यक्ति किसी की सम्पत्ति वापस करने को मना करता है, आपराधिक न्यास भंग का दोषी है

APP EXAM- 2011

16. 'A' sees 'B' drowning, but does not save him. 'B' is drowned :
'A' has committed

(1) The offence of abetment of suicide

(2) The offence of murder

(3) No offence

(4) The offence of culpable homicide not amounting to murder

'अ' 'ब' को डुबते हुए देखता है लेकिन उसे बचाता नहीं है । 'ब' डूब जाता है । 'अ' ने कारित किया है –

(1) आत्म हत्या के लिए उकसाने का अपराध

(2) हत्या का अपराध

(3) कोई अपराध नहीं किया

(4) हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध

APP EXAM- 2011

17. 'A' with the intention of murdering 'B' instigates 'C', a lunatic to give poison to 'B', 'C' instead of giving it to 'B' takes poison himself, Here, in this case

(1) 'A' is not guilty as 'B' a lunatic cannot be an offender in the eyes of law.

(2) 'A' is guilty of causing death of lunatic only.

(3) 'A' is guilty of abetment.

(4) None of the above

'अ' 'ब' की हत्या की नियत से 'स', जो एक पागल है को; 'ब' को जहर देने के लिये उकसाता है । 'स' उसे 'ब' को देने के बजाय स्वयं जहर खा लेता है । यहाँ :

(1) 'अ' दोषी नहीं है क्योंकि 'ब' जो पागल है विधि की नजर में अपराधी नहीं हो सकता।

(2) 'अ' सिर्फ पागल व्यक्ति की हत्याकारित करने का दोषी है।

(3) 'अ' उकसाने का दोषी है।

(4) उपरोक्त में से कोई भी नहीं

APP EXAM- 2011

18. Under section 299 of Indian Penal Code the connection between the act and death caused must be –

(1) Indirect

(2) Direct

(3) Both (1) and (2)

(4) None of the above

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 299 के तहत किये गये कार्य और मृत्यु कारित होने के बीच सम्बन्ध होना चाहिये

(1) अप्रत्यक्ष

(2) प्रत्यक्ष

(3) दोनों (1) और (2)

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

APP EXAM- 2011

19. **Sexual intercourse by a man with his own wife is rape, if the wife is below....**

(1) 16 years of age
(2) 18 years of age
(3) 19 years of age
(4) 15 years of age

एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी से किया गया मैथुन बलात्कार है अगर पत्नी की उम्र _____ से कम है ।

(1) 16 वर्ष
(2) 18 वर्ष
(3) 19 वर्ष
(4) 15 वर्ष

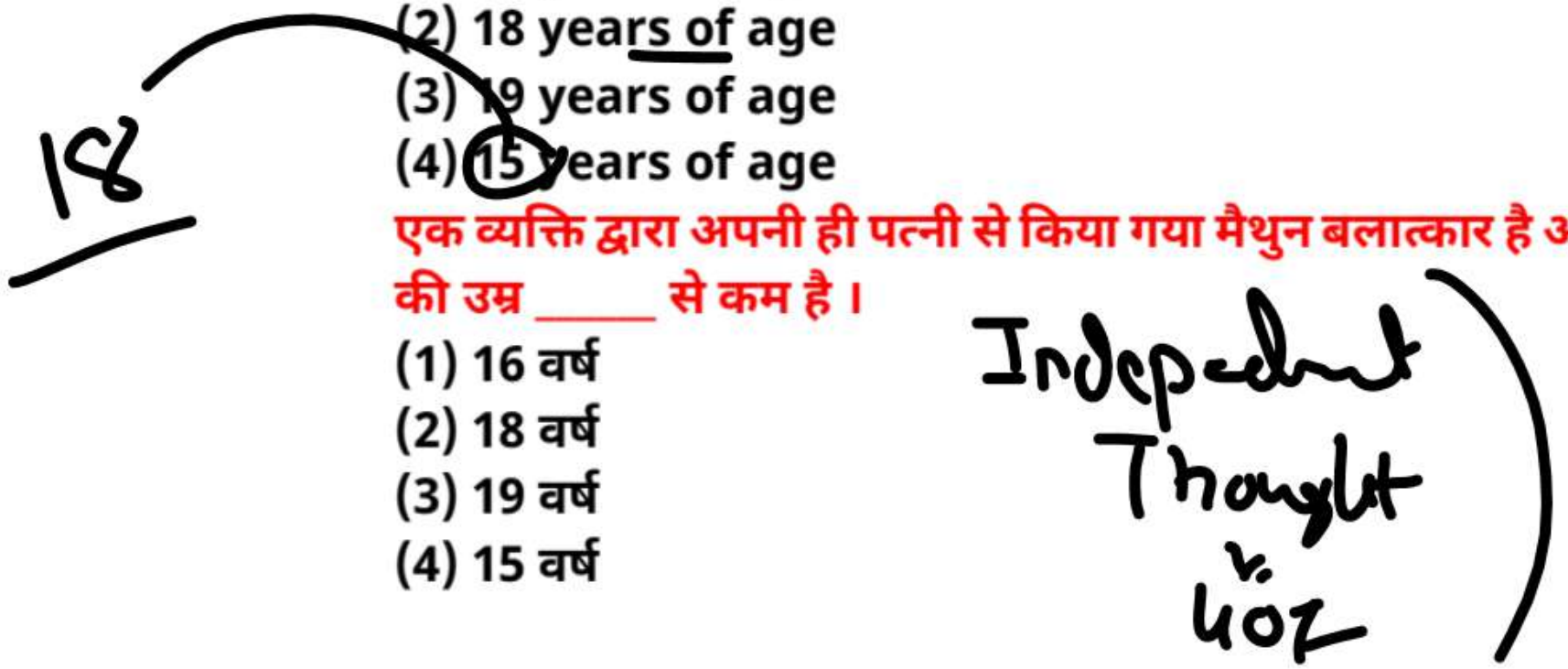

APP EXAM- 2011

20. The offence of "tresspass" under the Indian Penal Code 1860 basically is an offence against the –

(1) Ownership

(2) Possession

(3) Reputation

(4) Privacy and Possession

I.P.C. 441-462

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन "अतिचार" का अपराध मुख्यतः निम्न में से किसके विरुद्ध किया गया कार्य है ?

(1) स्वामित्व के विरुद्ध

(2) कब्जे के विरुद्ध

(3) ख्याति के विरुद्ध

(4) एकान्तता एवं कब्जे के विरुद्ध

APP EXAM- 2011

61. Every doctor is not responsible under section 304(A) of the Indian Penal Code 1860, for death of a person due to his negligent operation unless his intention is culpable. This has been laid down in

प्रत्येक डॉक्टर को उसके द्वारा उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किये गये किसी व्यक्ति के ऑपरेशन से मृत्यु पर, धारा 304(A) भारतीय दण्ड संहिता 1860 से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसका आशय अपराधिक न हो। यह प्रतिपादित किया गया था:

(1) Gyanendar Vs. State, 1972 S.C.

ज्ञानेन्द्र बनाम राज्य, 1972 सु.को. में।

(2) Sarveswar Parsad Sharma Vs. State, 1978 S.C.

- सर्वेश्वर प्रसाद शर्मा बनाम राज्य, 1978 सु.को. में।

(3) Jacob Mathew Vs. State of Punjab, 2005 S.C.

जेकब मैत्यु बनाम पंजाब राज्य, 2005 सु.को. में।

(4) Munna Vs. State, 2005 S.C.

मुन्ना बनाम राज्य, 2005 सु.को. में।

APP EXAM- 2011

62. "A" with intention of causing the death of a child "B" who is below 12 years, exposes him in a desert place. Here "A" will be liable under which section of the Indian Penal Code, 1860

"अ" एक 12 वर्ष से कम आयु के बालक "ब" की मृत्यु के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में अरक्षित छोड़ देता है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा के अन्तर्गत उसका उत्तरदायित्व होगा:

(1) Section 317/ धारा 317 में
(2) Section 307/ धारा 307 में
(3) Section 304/ धारा 304 में
(4) Section 511/ धारा 511 में

APP EXAM- 2011

63. Which of the following statement with reference to the offence of kidnapping and abduction under Indian Penal Code 1860 is correct

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन व्यपहरण व अपहरण के अपराध के सन्दर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही है

(1) There can not be abduction of a abducted person

एक अपहरण वाले का अपहरण नहीं हो सकता है।

(2) There can be kidnapping of a abducted person

एक अपहरण वाले व्यक्ति का व्यपहरण हो सकता है।

(3) There can not be kidnapping of a kidnapped person

एक व्यपहरण वाले व्यक्ति का व्यपहरण नहीं हो सकता है।

(4) There can not be abduction of a kidnapped person

एक व्यपहरण वाले का अपहरण नहीं हो सकता है।

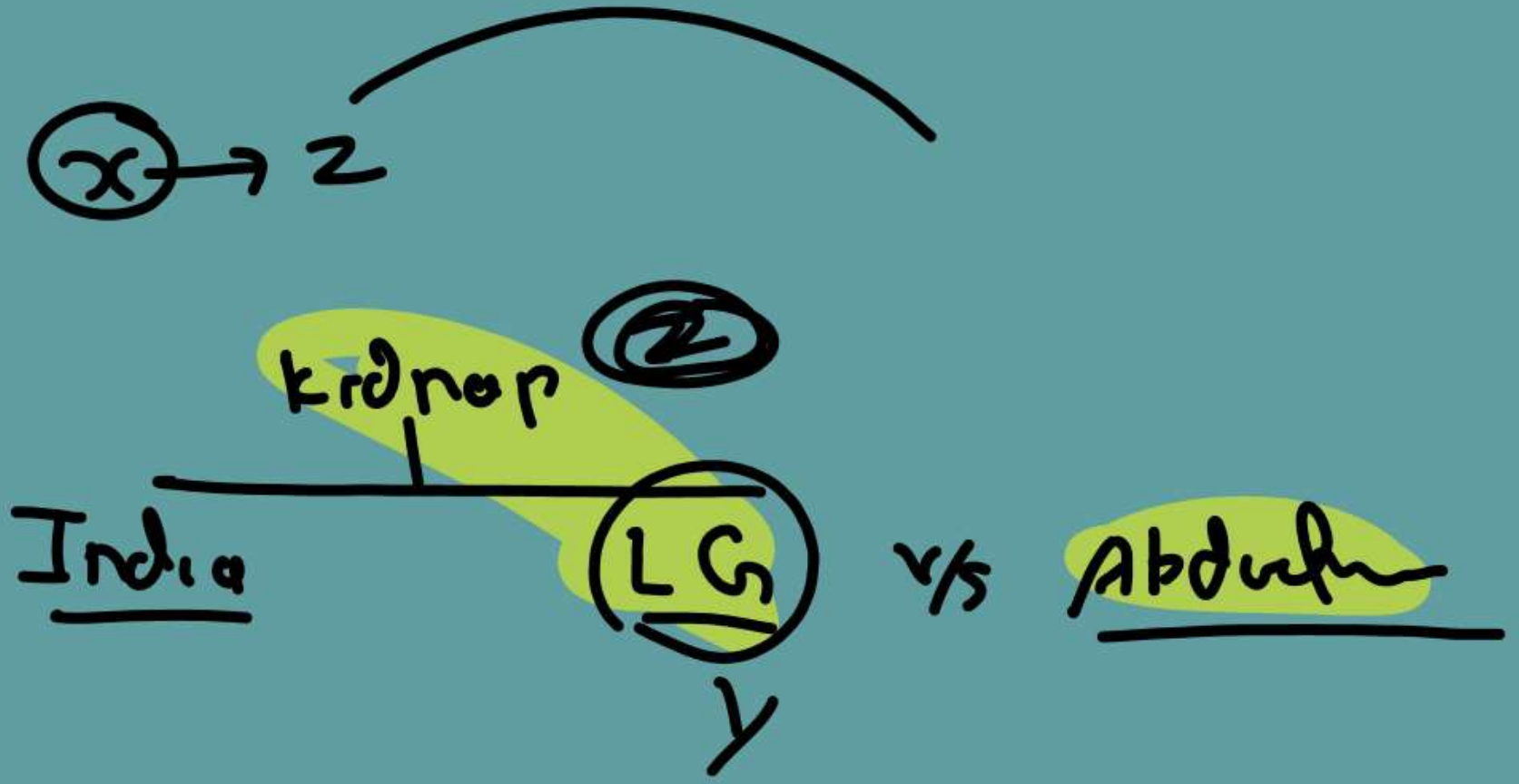

x
z
kidnap
India
LG
v/s
y

APP EXAM- 2011

24. Now the identification parade of an arrested person may be conducted under

(1) Under section 9 of the Indian Evidence Act, 1872

(2) Under section 54(A) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(3) Under section 157 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(4) Under section 9 of the Evidence Act, 1872 with section 157 of the Code of Criminal Procedure 1973.

अब किसी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान की कार्यवाही निम्न में से किस विधि के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती हैं ?

(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 के अनुसार

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54-क के अनुसार

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 के अनुसार

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 के अनुसार

APP EXAM- 2011

25. A 'Habitual offender' within the meaning of section 110 of the Code of Criminal Procedure 1973, is a person,

एक "अभ्यासिक अपराधी", धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा व्यक्ति होता है

(1) Who has committed offences mentioned under section 110, and the record of commission of more than two offences is available against him.

जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तथा जिसके विरुद्ध में दो से अधिक अपराध किये जाने का अभिलेख उपलब्ध हो ।

(2) Who habitually commits offences.

जो अभ्यासतः अपराध करता है।

(3) Who habitually remains in the company of persons who commits offences.

जो अभ्यासतः उन व्यक्तियों के साथ रहता जो अपराध करते हैं ।

(4) Who habitually deals with the persons who are habitual offenders.

जो उन व्यक्तियों से व्यवहार करता है जो अभ्यासतः अपराधी हैं।

APP EXAM- 2011

28. The foundation of investigation under Code of Criminal Procedure 1973 is :

Collect Evidence

(1) Complaint

(2) Report or information by a third person for commission of offence

(3) First information report

156(3)

(4) News paper's report

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अन्वेषण की नींव निम्न में से किसे कहा जाता है ?

(1) परिवाद को

(2) अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना या रिपोर्ट को जो अपराध के किये जाने के बारे में है।

(3) प्रथम इत्तिला सूचना को।

(4) सामाचार पत्र की सूचना को।

APP EXAM- 2011

29. Under section 160 of the Code of Criminal Procedure 1973, a woman witness may be called to give information of commission of a crime at other place than her residence also if it is necessary in the interest of justice and prior permission from magistrate has been taken in this regard. It was laid down in:

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 160 में "एक स्त्री' को भी जिसे किसी अपराध के बारे में जानकारी है, उसके निवास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर बुलाकर परीक्षा की जा सकती है यदि मैजिस्ट्रेट से इस सन्दर्भ में पूर्वाज्ञा ले ली हो तथा ऐसा किया जाना न्याय के हित में आवश्यक हो, यह कहा गया था :

(1) Kamlanatha Nath Vs. State of Tamil Nadu, 2005 S. C.

कमलान्था नाथ बनाम तमिलनाडू राज्य 2005 सु.को में

(2) Ravi Vs. State of Bihar, 2007 S. C.

रवि बनाम बिहार राज्य, 2007 सु.को. में

(3) Sidhartha Vs. State of Bihar, 2005 S.C.

सिद्धार्थ बनाम बिहार राज्य, 2005 सु.को. में ,

(4) Ramesh Kumari Vs. State of Delhi 2006 S. C.

रमेश कुमारी बनाम दिल्ली राज्य 2006 सु.को. में

30. Statements of any person may be recorded even at the stage of investigation by administering oath of such person by the magistrate. Under which provision of the Code of Criminal Procedure, 1973. it has been provided:
किसी व्यक्ति के कथनों को मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसे शपथ दिलाकर अन्वेषण की दशा में भी अभिलिखित किया जा सकता है। ऐसा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि किस धारा में किया जा सकता है?

(1) under section 161/ धारा 161 के अन्तर्गत
(2) under section 164 clause (5)/ धारा 164 क्लॉज (5)
(3) under Section 162 / धारा 162 के अन्तर्गत
(4) under Section 273 / धारा 273 के अन्तर्गत

CrPC / State → Oath

APP EXAM- 2011

31. For the purpose of section 167 of the Code of Criminal Procedure 1973, the most essential requirement is that the arrested person:

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि धारा 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को

(1) Should not necessarily be produced physically for the first time.

प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से सामान्यतः प्रस्तुत नहीं किया जाना।

(2) Should be produced first time through the medium of electronic - video-linkage.

प्रथम बार इलेक्ट्रोनिक विडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना।

(3) Should be produced in person for the first time.

प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना।

(4) Should be produced in person for the first time, and subsequently through the medium of electronic-Video-Linkage according the direction of Magistrate.

प्रथम बार व्यक्तिगत प्रस्तुत किया जाना तत्पश्चात् मैजिस्ट्रेट की इच्छानुसार इलेक्ट्रोनिक विडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना।

APP EXAM- 2011

32. The police - diary under section 172 of the code of criminal Procedure 1973 is used for which of the following things?

(1) for collection of evidences

(2) for recording of statements of witnesses

(3) for aid in enquiry or trial to the court

(4) for aid in investigation to the police.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कि धारा 172 में पुलिस डायरी का उपयोग निम्न में से किस बात हेतु किया जा सकता है?

(1) साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए

(2) साक्षीयों के बयानों को अभिलिखित करने के लिए

(3) जाँच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए।

(4) अन्वेषण में पुलिस की सहायता करने के लिए।

33. A Session Judge, during session trial, may judgement order acquittal of the accused person, even before pronouncing judgement under which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973

सेशन विचारण में सेशन न्यायालय किसी अभियुक्त की दोषमुक्ति का आदेश, निर्णय सुनाये जाने से पूर्व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा के अन्तर्गत कर सकता है ?

(1) Under section 227/ धारा 227 में
(2) Under section 233/ धारा 233 में
(3) Under section 235/ धारा 235 में
(4) Under section 232/ धारा 232 में

34. For application of the provision of plea-bargaining, under Code of Criminal Procedure, 1973 the most important thing which is required is that it should relate with the offences

(1) Punishable with less than 7 years imprisonment and accused should not be previously convicted.

(2) Punishable with death but not against women.

(3) Punishable with life imprisonment but not against child below the age of 14 years.

(4) Punishable with death; life imprisonment, more than 7 years imprisonment, against women, socio-economics conditions of the country, or child below 14 years.

APP EXAM- 2011

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिभावक चर्चा के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि वह मामला संबंधित होना चाहिये ऐसे अपराधों से जो –

(1) 7 वर्षों से कम के कारावास से दण्डनीय हो व अभियुक्त प्रथम अपराधी हो।

(2) मृत्यु दण्ड से दण्डनीय हो किन्तु स्त्रियों के विरूद्ध न हो।

(3) आजीवन कारावास से दण्डनीय हो किन्तु 14 वर्ष से कम आयु के बालक के विरूद्ध न हो।

(4) मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास, सात वर्षों से अधिक के कारावास, स्त्री, 14 वर्ष से कम आयु के बालक, देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति के विरूद्ध न हो।

36. For the purpose of enquiring or trying offences, a criminal court shall be deemed to open court. But even a court in criminal cases are not treated as an open court under which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973:

अपराध की जाँच या विचारण के प्रयोजन से कोई भी दण्ड न्यायालय खुला न्यायालय समझा जायेगा। किन्तु अपराधिक न्यायालय होते हुए भी कब एक दण्ड न्यायालय खुला नहीं समझा जायेगा। यह निम्न में से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा में दिया हुआ है ?

(1) Section 327/ धारा 327 में
(2) Section 326/ धारा 326 में
(3) Section 320/ धारा 320 में
(4) Section 319/ धारा 319 में

37. "Victim compensation scheme" under section 357-(A) of the Code of Criminal Procedure 1973, has been introduced by which of the following Amendment Act?
"आहतं प्रतिकर योजना' दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 (क) में किस संशोधन अधिनियम से जोड़ी गयी है ?

(1) By the Act 25 of 2005/ एक्ट 25 के 2005 के संशोधन से
(2) By the Act 5 of 2009/ एक्ट 5 के 2009 संशोधन से
(3) By the Act 45 of 1978/ एक्ट 45 के 1978 संशोधन से
(4) By the Act 2 of 2006/ एक्ट 2 के 2006 संशोधन से

38. Which of the following things "an appellate court, while disposing of an appeal under Code of Criminal Procedure 1973, not empowered to do?

(1) Can not enhance the punishment without providing an opportunity to the accused, to show cause against such enhancement.

(2) Can not inflict greater punishment than the trial court was competent to award,

(3) Can not enhance the punishment, when an accused has preferred appeal against his enhanced punishment to is.

(4) All of the above

APP EXAM- 2011

एक अपील न्यायालय को अपील का निस्तारण करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न में से कौन सा कार्य करने की शक्ति नहीं है ?

(1) दण्ड में वृद्धि नहीं कर सकता जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरूद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो।

(2) उससे अधिक दण्ड नहीं दे सकता जो अपीलाधिन आदेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था।

(3) जल अभियुक्त ने दण्ड की अधिकता के विरूद्ध में अपील की है तो उसे और नहीं बढ़ाया जा सकता उसे, ज्यों को त्यों तो रख सकता है।

(4) उपरोक्त सभी कार्य।

39. Death sentence of an accused may be commuted to fine also by the appropriate government under which provision of law.

किसी अभियुक्त की मृत्यु दण्ड के कारावास की सजा को समुचित सरकार के द्वारा केवल जुर्माने में भी लघुकरण किया जा सकता है। यह किस विधि के प्रावधान के अनुसार किया जा सकता है ?

(1) under section 54 of the Indian Penal Code, 1860

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 54 के अनुसार।

(2) under article 72 and 161 of the Constitution.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 व 161 के अनुसार।

(3) According to section 53 of the Indian Penal Code 1860 and section 433(A) of the Code of Criminal Procedure 1973.

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 53 व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 (क) के अनुसार ।

(4) under section 432 of the Code of Criminal Procedure 1973.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 के अनुसार

40. While exercising inherent powers under section 482 of the Code of Criminal Procedure 1973, even the High Court cannot do which of the following things:

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अन्तर्गत प्रदत्त अर्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता?

(1) To give police-custody from judicial custody.

न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा देने का

(2) To convert itself into a court of appeal when legislature has not authorized it expressly or indirectly.

अपने आपको अपील न्यायलय में परिवर्तित नहीं कर सकता जब विधायिका ने उसे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अधिकृत नहीं किया है

(3) To review its own judgement or order

अपने निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने का

(4) All the above things.

उपरोक्त स`भी

65. Which provision of the Code of Criminal Procedure 1973 empowers the presiding officer to dispense with the personal attendance of an accused at the time of recording of statement of witnesses?

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा पीठासीन अधिकारी को अधिकार देती है कि वह साक्षियों के बयानों को दर्ज करने के समय अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से माफी दे सकता है ?

(1) Section 299/ धारा 299
(2) Section 273/ धारा 273
(3) Section 205/ धारा 205
(4) Section 285/ धारा 285

APP EXAM- 2011

66. In a summon case the Magistrate can stop the proceedings at any stage without pronouncing judgement. This has been provided under which section of the Code of Criminal Procedure 1973

समन मामले में मैजिस्ट्रेट निर्णय सुनाये जाने से पूर्व किसी भी प्रक्रम पर कार्यवाही को रोक सकता है। इसका प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस धारा में किया गया है

(1) Section 258/ धारा 258 में
(2) Section 257/ धारा 257 में
(3) Section 259 / धारा 259 में
(4) Section 268/ धारा 268 में

APP EXAM- 2011

41. **Which of the following "Law" is considered as the basis of Indian Evidence Act 1872**

निम्न में से कौन सी "विधि" को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है ?

(1) Law of place where act was done or offence was committed

उस स्थान की विधि जिस स्थान पर कार्य किया गया या अपराध किया गया था।

(2) Law of the place where investigation or enquiry was conducted

उस स्थान की विधि जहाँ अन्वेषण या जाँच की गयी थी।

(3) Law of the place where solution was found by the parties.

उस स्थान की विधि जहाँ पक्षों ने अपना समाधान ढूँढ़ा था।

(4) Law of the place where proceedings have to be initiated in a case (Lex Fori).

उस स्थान की विधि जहाँ किसी मामले में कार्यवाहियाँ की जानी है (लेक्स फोरी)।

42. The term "Court" used under Indian Evidence Act 1872 includes –

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रयुक्त "न्यायालय" शब्द में सम्मिलित होते है

(1) All judges but not magistrates.

सभी न्यायाधीश किन्तु मैजिस्ट्रेट नहीं

(2) All magistrates but not judges.

सभी मैजिस्ट्रेट किन्तु न्यायाधीश नहीं

(3) All judges, magistrates, persons except arbitrators, legally authorized to take evidence.

सभी न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट, व्यक्ति, मध्यस्थ को छोड़ कर जो साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं।

(4) All enquiry and investigation officers and arbitrators legally authorized to take evidence.

सभी अन्वेषण व जाँच अधिकारी व मध्यस्थ जो साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं।

APP EXAM- 2011

43. **Facts showing existence of state of mind or body or bodily feelings of a person are relevant under which of the following Acts?**

किसी व्यक्ति के मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य निम्न में से किस अधिनियम में सार्थक होते है?

(1) under section 280 of the Code of Criminal Procedure 1973.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 280 में

(2) under order 18 Rule 12 of the Code of Civil Procedure 1908.

दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 12 में

(3) under section 14 of the Indian Evidence Act, 1872.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 में

(4) under all the above sections and Acts.

उपरोक्त सभी धाराओं व अधिनियमों में।

44. Under section 13 of the Indian Evidence Act., 1872 "any transaction" or "particular instances" is relevant for explaining the existence of any right or custom, but not relevant for explaining the existence of a crime. This statement of law was laid down in:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 में "अधिकार" अथवा 'रूढ़ि' को स्पष्ट करने हेतु कोई "सव्यवहार" या "विशिष्ट उदाहरण" सुसंगत होते हैं किन्तु ये किसी अपराध के अस्तित्व के बारे में सुसंगत नहीं होते। यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था?

(1) Gurdit Singh Vs Smt. Angrej Koer 1968 S.C.

गुरूदीत सिंह बनाम श्रीमती अंग्रेज कोर, 1968 सु.को.में

(2) Suraj Mani Vs Durga Charan, 2001 S.C.

सूरजमनी बनाम दुर्गाचरण, 2001 सु.को. में

(3) Anandi Bai Vs Raja Ram, 1973 Raj.

आनन्दी बाई बनाम राजाराम, 1973 राज. में

(4) Shakuntla Vs' Amar Nath, 1982 Punjab And Haryana

शकुन्तला बनाम अमरनाथ, 1982 पंजाब व हरियाणा में

45. Which of the following case was decided on the basis of "tears from eyes". evidence of a women, namely.?

(1) State of Rajasthan Vs Smt. Kanuri Devi, 1998 Rajasthan

(2) Shamim Rehmani Vs State of U.P., 1975 S.C.

(3) K.M. Nanawati Vs State of Maharashtra, 1961 S.C.

(4) Palvinder Koer Vs State of Punjab, 1952 S.C.

निम्न में से कौन सा वाद केवल स्त्री की "आँख के आँसुओं" के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था?

(1) राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती कनूरी देवी, 1998 राज. का

(2) शमीम रहमानी बनाम उ. प्र. राज्य, 1975 स. को. का

(3) के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1961 सु. को. का

(4) पलविन्दर कौर बनाम पंजाब राज्य, 1952 सु. को. का ।

46. An admission is relevant even in favour of the person who made it when it falls within the ambit of –

(1) Section 18 of the Indian Evidence Act, 1872.
(2) Section 31 of the Indian Evidence Act, 1872.
(3) Section 21 of the Indian Evidence Act, 1872.
(4) Section 20 of the Indian Evidence Act, 1872.

एक स्वीकृति, स्वीकृता की ओर से व उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृति

(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 में आती है।
(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 31 में आती है।
(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 21 में आती है।
(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 20 में आती है।

APP EXAM- 2011

47. "Extra judicial confession" has been provided under which of the following Act, namely ?

(1) under section 163 of the Code of Criminal Procedure, 1973

(2) under section 29 of the Indian Evidence Act, 1872.

(3) under section 281 of the Code of Criminal Procedure 1973.

(4) under section 30 of the Indian Evidence Act, 1872 .

"न्यायेत्तर संस्वीकृति' का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम में किया गया है ?

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 163 में

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 29 में

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 281 में.

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 30 में

48. The latest trend of courts regarding the admissibility and relevancy of Dying Declaration in India is that

"मृत्यु कालिक कथन' की सुसंगतता के बारे में भारतीय न्यायालयों में आधुनिक विचारधारा यह है कि

(1) It must be recorded by the Magistrate under section 164 of the Code of Criminal Procedure 1973.

यह धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन मैजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित की जानी चाहिये।

(2) It must be recorded before the police under section 162 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

यह धारा 162 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में पुलिस के सामने अभिलिखित होनी चाहिये।

(3) It should be corroborated from other evidences.

यह अन्य साक्ष्यों से सन्तुष्ट होनी चाहिये।

(4) It should be made before the magistrate under section 164 of the Code of Criminal Procedure 1973 and must be corroborated from other evidence too.

यह धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में मैजिस्ट्रेट के द्वारा अभिलिखित तथा अन्य साक्ष्यों से सम्पुष्ट की जानी चाहिये।

49. Since section 45 of the Indian Evidence Act, 1872 does not define, an "Expert". Hence, even a "Student" may also be treated as an expert. This view was laid down in

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 में "विशेषज्ञ' की परिभाषा नहीं दी गयी है। अतः एक "विद्यार्थी' भी विशेषज्ञ हो सकता है। यह विचारधारा निम्न में किस वाद में प्रतिवादित की गयी थी :

(1) Pyre singh Vs. State of Punjab 1977 S.C.

प्यारे सिंह बनाम पंजाब राज्य 1977 सु. को. में

(2) Kanpur University Vs Dr. Samir Gupta and others, 1983 S.C.

कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता व अन्य, 1983 सु. को. में .

(3) Mohd. Zahid Vs. State of U.P. 1999 S.C.

मो. जाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1999 सु. को. में

(4) Vishnu Vs State 2006 S.C.

विष्णु बनाम राज्य, 2006 सु. को. में

50. "Opinion of third person" is not relevant to prove which of the following offences of Indian Penal Code, 1860, namely –

(1) section 299, 495 and 498

(2) section 300, 498 and 499

(3) section 494,495,497 and 498

(4) section 399,499,300 and 498

"अन्य व्यक्ति की राय' भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से किन अपराधों हेतु सुसंगत नहीं है ?

(1) धारा 299, 495 व 498 में

(2) धारा 300, 498 व 499 में .

(3) धारा 494,495,497 व 498. में

(4) धारा 399,499,300 व 498 में

APP EXAM- 2011

51. "It is the duty of the court to decide the 'case' not the "parties". because a noble man may commit a worst possible crime and a person of easy virtue may have a good cause of action". This statement relates with which provision of law ?

"न्यायालयों" का यह कर्तव्य है कि वे "मामले' को तय करें न कि पक्षों को, क्योंकि अच्छे से अच्छा व्यक्ति बुरे से बुरा कार्य कर सकता है तथा बुरे से बुरे व्यक्ति का अच्छे से अच्छा अधिकार हो सकता है। यह कथन निम्न में से किस विधि की धारा से सम्बन्धित है ?

(1) section 110 of the Code of Criminal Procedure, 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 से

(2) section 52,53,54,55 of the Indian Evidence Act, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 52,53,54 व 55 से

(3) section 494, 497, 498 of the Indian Penal Code, 1860

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 494, 497, 498 से

(4) section 292,293,294 of the Indian Penal Code 1860

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 292, 293, 294 से

APP EXAM- 2011

52. **Which of the following section is considered as the spinal cord of the civil litigation in India :**

निम्न में से किस धारा को भारत में दीवानी मामलों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ?

(1) section 105 of the Indian Evidence Act, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 105 को .

(2) section 91 of the Indian Evidence Act, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 को

(3) section 92 provision 1 to 6 of the Indian Evidence Act, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 92 के 1 से 6 तक के परन्तुकों को

(4) section 104 of the Indian Evidence Act, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 104 को

APP EXAM- 2011

53. **In which of the following cases the burden of proof of not committing the particular offences is on an accused person and not on the prosecution?**
निम्न में से किस मामले में अपराध न किये जाने के सबूत का भार अभियुक्त पर होता है न कि अभियोजन पर ?

(1) Section 111 and 113 of the Indian Evidence act, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 व धारा 113 में ।

(2) Section 111-A, 113-A. 113-B and 114-A of the Indian Evidence Act, 1872.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111-ए, 113-ए, 113-बी तथा 114-ए में

(3) Section 111A, 112 and 113-B of the Indian Evidence Act, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111-ए, 112 व धारा 113-बी में

(4) Section 111A and 113 A of the Indian Evidence Act, 1872.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 ए व धारा 113-ए में।

54. **A child born even after "vasectomy operation" during continuance of valid marriage between the parties does not affect the legitimacy of the child and the doctor who performed such negligent operation is liable to pay damages to the parties. This view was laid down in :**

"नसबन्दी के ऑपरेशन' के बाद भी उत्पन्न सन्तान जो पक्षों के बीच में वैध विवाह के दौरान उत्पन्न हुआ है, उसकी धर्मजता को प्रभावित नहीं करता तथा वह डॉक्टर जिसने उपेक्षापूर्ण ऑपरेशन किया था, पक्षों को क्षति देने के लिए उत्तरदायी होगा। यह विचारधारा निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गयी थी ?

(1) P.E.K. Kalyani Vs. K. Devi, 1996 S.C.

पी. ई. के. कल्याणी बनाम के देवी, 1996 सु. को. में ।

(2) Pawan Kumar Vs Mukesh Kumari, 2001 Raj

पवन कुमार बनाम मुकेश कुमारी, 2001 राज. में ।

(3) Mohd. Faroq Vs Dukhtar Jehan Begum, 1987 S.C.

मो. फारूख बनाम दुख्तर जान बेगम, 1987 सु. को. में

(4) Santro Devi Vs State of Haryana, 2000 S.C.C.

सन्तरो देवी बनाम हरियाणा राज्य 2000 सु.को. के में.

APP EXAM- 2011

55. Every relevant fact is not necessarily a admissible fact, but every admissible fact is essentially a relevant fact. In which of the following sections of the Indian Evidence Act, 1872, a fact is not admissible, namely

प्रत्येक ससंगत तथ्य एक ग्राह्य तथ्य नहीं होता किन्तु प्रत्येक ग्राह्य तथ्य एक सुसंगत तथ्य होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किन धाराओं में तथ्य ग्राह्य नहीं हैं

(1) under section 6 to 55 of the Indian Evidence Act, 1872.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 से 55 में।

(2) section 130, 131, 132 of the Indian Evidence Act, 1872.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 130,131 व 132 में।

(3) section 126 to 129 of the Indian Evidence Act, 1872.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 से 129 में।

(4) section 121 to 129 of the Indian Evidence Act, 1872.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 121 से 129 में।

56 **Section 122 of the Indian Evidence Act, 1872 covers –**

धारा 122 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सम्मिलित होते है : -

(1) Offences between husband and wife during continuance of their marriage.

पक्षों के बीच विवाहित स्थिति के दौरान किये गये अपराधिक कार्य।

(2) marital communications during their marriage.

पक्षों के बीच विवाहित स्थिति में दी गयी पारिवारिक ससूचनायें।

(3) Any communication relating to any matter given in any manner during their marriage.

कोई भी ससूचना, जो किसी भी विषय से सम्बन्धित हो, तथा किसी भी प्रकार की हो, विवाहित स्थिति में दिया जाना।

(4) confidential and legal communications during their marriage.

पक्षों के बीच वैश्वासिक व वैध सूचनायें उनकी विवाहित स्थिति के दौरान।

57. A witness cannot be converted into an accused person, though may be compelled to answer questions relating to an offence. Under which section of the Indian Evidence Act, 1872, this immunity is granted to a witness ?

एक साक्षी को अभियुक्त के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है। यद्यपि उससे अपराध के सन्दर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते है। यह विशेषाधिकार उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन-सी धाराओं में प्राप्त है।

(1) under section 148/ धारा 148 में
(2) under section 163/ धारा 163 में
(3) under section 131/ धारा 131 में
(4) under section 132/ धारा 132 में

58. Under what provision of the Evidence Act, 1872 can oral evidence as to prove matters in writing, be given during examination of witness?
लेखबद्ध विषयों के बारे में मौखिक साक्ष्य, साक्षियों की परीक्षा के दौरान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार दिया सा सकेगा?

(1) section 65 cl(1)/ धारा 65 क्लाज 1 के अनुसार
(2) section 114 illustration (g) and (h)/ धारा 114 दृष्टान्त (जी) व (एच) के अनुसार
(3) section 66/ धारा 66 के अनुसार।
(4) section 144/ धारा 144 के अनुसार।

59. To reach at a proper conclusion and for proof of relevant fact, court may ask any question, in any form, at any time to any person or witnesses. This power is conferred to the court under which section of the Indian Evidence Act, 1872

न्यायालय उचित निष्कर्ष पर पहुंचने तथा सुसंगत तथ्यों का उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी भी साक्षी से किसी रूप में किसी भी समय कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गयी है :

(1) Section 135 and 136/ धारा 135 में व धारा 136 में
(2) Section 165/ धारा 165 में
(3) Section 148/ धारा 148 में
(4) Section 137/ धारा 137 में

60. Section 107 of Indian Evidence Act, 1872, provides for presumption regarding

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107 किस सम्बन्ध में उपधारणा का प्रावधान करती है ?

(1) Life/ जीवन
(2) Death/ मृत्यु
(3) Longevity/ दीर्घायु
(4) Legitimacy/ धर्मजत्व।

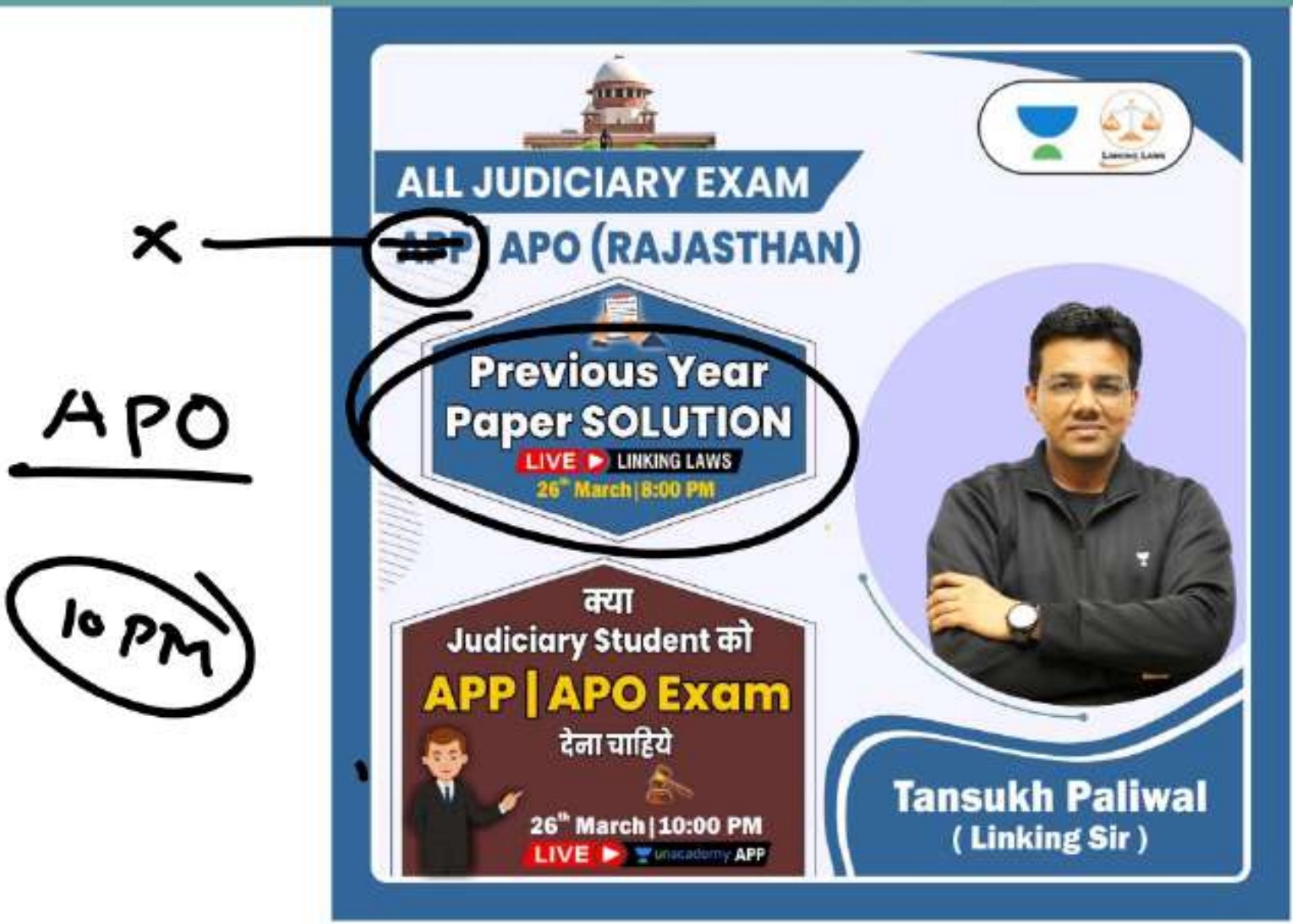

x

APO

10 PM

ALL JUDICIARY EXAM
APP | APO (RAJASTHAN)
Previous Year Paper SOLUTION
LIVE LINKING LAWS
26th March | 8:00 PM
क्या
Judiciary Student को
APP | APO Exam
देना चाहिये
26th March | 10:00 PM
LIVE unacademy APP
Tansukh Paliwal
(Linking Sir)

8 PM

JUDICIARY EXAMS
DJS
Previous Paper
SOLUTION
28th March |8:00 PM
LIVE LINKING LAWS
DJS
Exam Strategy
28th March | 10:00 PM
LIVE unacademy APP
Tansukh Paliwal
(Linking Sir)

RAJASTHAN
APP | APO
2011 (Minor Laws)
SOLUTION
28th March | 5:00 PM
LIVE Linking Laws
unacademy
unacademy
Anoop Sir & Apoorva Ma'am

SPECIAL
MARRIAGE ACT
कोर्ट मैरिज कैसे
होती है ?
Conditions, Documents,
Procedure
unacademy
Monday, 28th March
LIVE 10.00 AM
YouTube
LINKING
LAWS

Prices RISE from April 1st!

Duration	Plus (Before Price Hike)	Plus (After Price Hike)	Iconic (Before Price Hike)	Iconic (After Price Hike)
1 Months	~~₹6,875~~	₹7,906	-	-
3 Months	~~₹17,188~~	₹19,766	-	-
6 Months	~~₹27,500~~	₹31,625	~~₹36,500~~	₹41,975
12 Months	~~₹37,813~~	₹43,484	~~₹55,813~~	₹64,185
18 Months	~~₹46,406~~	₹53,367	-	-
24 Months	~~₹55,000~~	₹63,250	~~₹91,000~~	₹104,650

4 Days left!

Enroll Now

Use code: **LINKING**
To Get **10%** off

Prices get Hiked by **15%** from April 1, 2022.

For Any Query Regarding Subscription,
Course, Unacademy App

Call On This Number

7825860310

Enroll Now

Tansukh Paliwal (Linking Sir)

- Confused about your preparation Journey?
- Have queries about Subscriptions?
- Want to know about Latest Offers?

Use Code LINKING

Personal Guidance
Get one on one guidance from top exam experts
Study Planner
Customized study plan with bi-weekly reviews
ICONIC
PLUS
Live Classes
Weekly Tests
Structured Courses
Unlimited Access
Test Analysis
Get one on one guidance from top exam experts
Experts' Guidelines
Study booster workshops by exam experts

unacademy | ICONIC subscription

Now no Doubt is silly with

1:1 Live Mentorship Program

Get Solutions from Experts

Book Your Session Now!!

Please note, 1:1 Live Mentorship Program is available on the updated version of the Unacademy App on Android and on the Web.

Benefits of 1:1 Live Mentorship Program

1. Connect and avail 1:1 time with your Mentor.
2. Pre-book slots at your convenience to connect with your Mentors Live over audio call.
3. Solve Doubts, Discuss Exam Strategy, and more!
4. Get personalised guidance, feedback and help in creating a study plan.
5. The option to book your session in a language of your preference.

Unacademy Subscription

Plus Subscription

Iconic Subscription

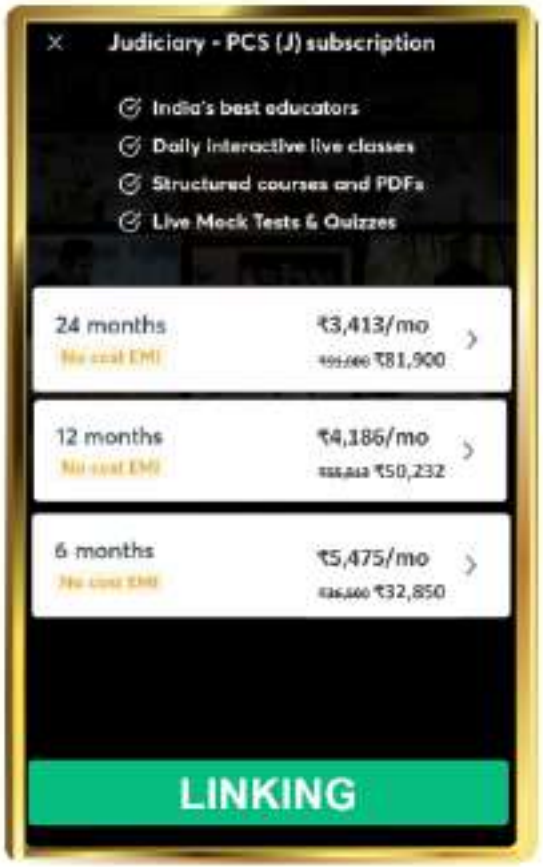

BUGS BOUNTY

Opportunity for all Learners to report any inappropriate content in the video

Be the first one to report a particular issue to claim your prize

Report any inappropriate content using the form in the description

Thank You!
+ SUBSCRIBE
LIKE
& SHARE
PDF
Download Now !